कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक–शिविरा–माध्य/मा–स/22434/2015–16/14 दिनांक : 20.04.2016

:: संशोधन आदेश ::

इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक–शिविरा–माध्य /मा–स/21434 /2015–16 दिनांक 07.09.2015 द्वारा माध्यमिक शिक्षा सैट अप के विद्यालयों द्वारा विभिन्न बैंको में छात्र निधि कोष (Boys Fund) के नाम से संचालित बैंक खाते का नाम परिवर्तित कर विद्यार्थी कोष (Student Fund) किए जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किए गए थे। उक्त आदेश में वर्णित अन्य निर्देशों को विलोपित करते हुए निम्नांकित सीमा तक ही निर्देशों को प्रभावी रखा जाता है :–

"माध्यमिक शिक्षा सैट अप के विद्यालयों द्वारा विभिन्न बैंको में छात्र निधि कोष(Boys Fund) के नाम से संचालित बैंक खाते का नाम परिवर्तित कर विद्यार्थी कोष (Student Fund) किया जाता है।"

समस्त सम्बन्धित संस्था प्रधान उक्त निर्देशों की सुनिश्चित क्रियान्विति हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करें।

(बी0एल0स्वर्णकार)
आई0ए0एस0
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारंभिक (प्रथम/द्वितीय)
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
5. वरिष्ठ सम्पादक "शिविरा", प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर